न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 48/2019
1– झुमरराम पुत्र हरदीनराम।
2– कुनाराम पुत्र झुमरराम।
3– लिछमा उर्फ लक्ष्मी
4– निरमा
5– बिन्दू पुत्रियां झुमरराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल जिला नागौर।

....................वादीगण

बनाम

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित अधिवक्तागणः–
1– अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका वादीगण की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.06.2019

वाद वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 581 रकबा 20.05 बीघा, ख.नं. 635/1 रकबा 1.02 बीघा गै.मु. बाड़ा, खेत ख.नं. 668 रकबा 71.19 बीघा, खेत ख.न. 847 रकबा 2.06 बीघा, कुल खेताय 3 व एक गै.मु. बाड़ा जिनका कुल रकबा 95.12 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2073 को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:–

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क व ख के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार होने के कारण जवाब मांगा गया। जो कि तय समय तक नहीं दिया गया इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीगण सं. 01 से 04 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नही किये। प्रकरण में वकील वादीगण सं. 01 से 05 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. वादी संख्या 01 झूमरराम व वादी संख्याा 05 बिन्दु के सामलाती हकबंट में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 635/1 रकबा 1.02 बीघा गै.मु.बाड़ा नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा नम्बर 668 रकबा 71.19 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शानुसार व खेत ख.न. 847 रकबा 2.06 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 02 कुनाराम के हकबंट में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 581 रकबा 20.05 बीघा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 3 लिछमा उर्फ लक्ष्मी व वादी सं. 04 निरमा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति से स्वयं का हिस्सा भाईयों में बाटने में सहमत होने के कारण उनके हिस्से जमीन नहीं रखी।
4. वादी सं. 5 बिन्दू के नाबालिक होने से उनका हिस्सा उसके पिता वादी सं. 01 झूमरराम के हकबंट में सामलाती हिस्सेदार रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner